



प्रेषक,

अशोक कुमार यादव,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रशासन एवं विकास,
पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पशुधन अनुभाग-2

लखनऊ :: दिनांक-03 अगस्त, 2026

विषय:- चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन केन्द्र, रहमानखेड़ा, लखनऊ पर बोवाइन पशुओं में सेक्सड/सार्टेड सीमेन के उपयोग की योजना (रा.यो.) के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-209/प.-2/17(13)/बोवाइन पशु/2026-27, दिनांक-03.07.2026 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक-2403-पशुपालन-102-पशु तथा भैंस विकास-08-अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन केन्द्र, रहमानखेड़ा, लखनऊ पर बोवाइन पशुओं में सेक्सड/सार्टेड सीमेन के उपयोग की योजना (राज्य योजना) के अन्तर्गत निम्नलिखित मानक मदों में प्राविधानित धनराशि ₹0-20.00 लाख (रूपये बीस लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति अधोलिखित प्रतिबन्धों के अधीन इस शर्त के साथ श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं कि निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ०प्र० द्वारा धनराशि आहरित कर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उ०प्र० पशुधन विकास परिषद, लखनऊ को उपलब्ध करायी जायेगी:-

मानक मद	स्वीकृत धनराशि (लाख में)
18-प्रकाशन	5.00
19-विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय	5.00
42-अन्य व्यय	2.00
43-सामग्री एवं सम्पत्ति	2.00
58-आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	6.00
योग-	20.00

(रूपये बीस लाख मात्र)

- स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय अनुमोदित कार्ययोजना एवं मदों में योजना हेतु निर्धारित गाइडलाइन्स/मानकों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा तथा पूर्ण विवरण सहित उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
- योजना के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर यदि किसी ऐसे खाते में रखा जाता है जिसमें ब्याज अर्जित होता है तो अर्जित ब्याज को योजना की गाइडलाइन्स/वित्त विभाग के संगत दिशा निर्देशों के अनुरूप राजकोष में जमा करने का दायित्व निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उ०प्र० पशुधन विकास परिषद, लखनऊ का होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- (4) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग उसी मद/प्रयोजन में किया जायेगा जिसके लिए धनराशि वस्तुतः स्वीकृत की जा रही है। स्वीकृत की जा रही धनराशि का किसी अन्य मद/योजना/कार्यक्रम में व्यय अनुमन्य न होगा।
- (5) विज्ञापन, प्रकाशन एवं प्रचार-प्रसार के संबंध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों एवं सूचना विभाग के निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
- (6) विभागाध्यक्षों/अन्य नियंत्रक अधिकारियों द्वारा बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाये कि संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाये।
- (7) योजनान्तर्गत वस्तुओं/सामग्रियों आदि का क्रय 30प्र0 भण्डार क्रय नियमावली तथा वित्त विभाग, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत सुसंगत शासनादेशों, 30प्र0 प्रोक्योरमेन्ट मैनुअल (प्रोक्योरमेन्ट आफ गुड्स) 2016 एवं विभागीय क्रय नीति (जेम) का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।
- (8) निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 30प्र0 पशुधन विकास परिषद, लखनऊ यह सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत किये जा रहे कार्य/मद हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा अन्य किसी स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है और न ही यह कार्य किसी अन्य योजना अथवा कार्यक्रम में सम्मिलित है।
- (9) यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निर्वतन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में 30प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।
- (10) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (11) स्वीकृत की जा रही धनराशि के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक-28.03.2026 एवं समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिये गये दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय **लेखाशीर्षक**: 2403001020800 (अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन केन्द्र, रहमानखेड़ा, लखनऊ पर बोवाइन पशुओं में सेक्सड/सार्टेड सीमेन के उपयोग की योजना (राज्य योजना))

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	015	2403001020800 अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन केन्द्र, रहमानखेड़ा, लखनऊ पर बोवाइन पशुओं में सेक्सड/सार्टेड सीमेन के उपयोग की योजना (राज्य योजना)	18 प्रकाशन	5,00,000 (रुपये पाँच लाख मात्र)
2	015	2403001020800 अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन केन्द्र, रहमानखेड़ा, लखनऊ पर बोवाइन पशुओं में सेक्सड/सार्टेड सीमेन के उपयोग की योजना (राज्य योजना)	19 विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय	5,00,000 (रुपये पाँच लाख मात्र)
3	015	2403001020800	42	2,00,000

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

		अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन केन्द्र, रहमानखेड़ा, लखनऊ पर बोवाइन पशुओं में सेक्सड/सार्टेड सीमेन के उपयोग की योजना (राज्य योजना)	अन्य व्यय	(रुपये दो लाख मात्र)
4	015	2403001020800 अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन केन्द्र, रहमानखेड़ा, लखनऊ पर बोवाइन पशुओं में सेक्सड/सार्टेड सीमेन के उपयोग की योजना (राज्य योजना)	43 सामग्री एवं सम्पूर्ति	2,00,000 (रुपये दो लाख मात्र)
5	015	2403001020800 अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन केन्द्र, रहमानखेड़ा, लखनऊ पर बोवाइन पशुओं में सेक्सड/सार्टेड सीमेन के उपयोग की योजना (राज्य योजना)	58 आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	6,00,000 (रुपये छह लाख मात्र)
	कुल			20,00,000 (रुपये बीस लाख मात्र)

महायोग	20,00,000 (रुपये बीस लाख मात्र)
--------	--------------------------------------

के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या-E-1-101-X-2026-27, दिनांक-29.07.2026 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अशोक कुमार यादव)

उप सचिव।

पु0सं0-172/2026/1632(1)/सैंतीस-2-2026/001-1(17)/2022-1678666. तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उ०प्र० पशुधन विकास परिषद, बादशाहबाग, लखनऊ।
3. वित्त नियंत्रक/संयुक्त निदेशक (नियोजन), पशुपालन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
4. सम्बन्धित जिलाधिकारी/मुख्य पशु चिकित्साधिकारी/मुख्य अथवा वरिष्ठ कोषाधिकारी।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु०-1/वित्त (आय-व्यय) अनु०-1/नियोजन अनु०-3 ।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अशोक कुमार यादव)

उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।